

रेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री माधव राव सिन्धिया) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

दिल्ली प्रशासन के अस्पताल

2396. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाये जा रहे अस्पतालों की संख्या कितनी है, उनमें कितनी शैयाएं (बैड) हैं और इन शैयाओं के लिए किन दरों पर पैसा चार्ज किया जाता है ;

(ख) दिल्ली में गंगाराम अस्पताल जैसे प्राइवेट अस्पताल कितने हैं, सरकार द्वारा उन्हें अब तक किस प्रकार की सहायता दी गई है, उनमें कितनी शैयाएं हैं और वे किन दरों पर पैसा वसूल करते हैं कितनी शैयाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं और उनकी निगरानी किस प्रकार की जाती है; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी सहायता से न्यासों द्वारा चलाये जाने वाले ये अस्पताल अपने यहां शैयाओं के लिये मनमाने दाम वसूल कर रहे हैं और यदि हां, तो निर्धन रोगियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार क्या उपाय करने का विचार रखती है?

परिवार कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली में उनके नियन्त्रणाधीन 10 अस्पताल हैं जिनकी कुल पलंग क्षमता 2528 है। इन पलंगों के लिए रोगियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली में कुल 2777 पलंगों की क्षमता वाले 17 ऐसे निजी अस्पताल हैं। दिल्ली प्रशासन के पास निःशुल्क पलंगों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। इन अस्पतालों को दिल्ली उपचर्या

पंजीकरण अधिनियम 1953 के अंतर्गत पंजीकृत करना जरूरी है। इस अधिनियम में ऐसी कोई धारा नहीं है जिसके अन्तर्गत निजी अस्पतालों में प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए वसूल किये जा रहे शुल्क की दरों पर नियंत्रण रखा जा सके। ऐसे अस्पतालों को अम्बुलेंस खरीदने और अपेक्षित आवश्यक अस्पताल उपकरण प्राप्त करने के लिए पूर्णतया गुणवत्ता के आधार पर सहायता दी जाती है। दिल्ली प्रशासन इस स्थिति की समीक्षा कर रहा है जिस से यह इन अस्पतालों के कार्यकरण पर और अधिक नियंत्रण रख सके।

1985-86 में आरम्भ किये गए वायुदूत के नये मार्ग

2397. श्री रामचन्द्र विकल : क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के वर्ष के दौरान वायुदूत की सेवाओं को किन-किन स्थानों के लिए बढ़ाया गया है; और

(ख) 1986-87 के वर्ष के दौरान वायुदूत की सेवाएं किन-किन स्थानों के लिए आरम्भ किये जाने का विचार है ?

नागर विमानन विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइलर) : (क) वर्ष 1985-86 के दौरान वायुदूत द्वारा जोड़े जाने वाले स्टेशनों के नामों को दर्शाने वाला एक विवरण-I के रूप में संलग्न है। (नीचे देखिए)

(ख) वायुदूत ने उन स्टेशनों का चयन किया है जिन्हें 1986-87 में वायुदूत सेवा से जोड़ा जाना है जिसकी सूची विवरण-II पर दी गई है। (नीचे देखिए) स्टेशनों को विमान सेवा से जोड़ा जाना सरकार के अनुमोदन आधार-संरचनात्मक सुविधाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता और प्रचालनों की आर्थिक साक्ष्यता पर निर्भर करेगा।